



आपकी पहचान गोपनीय रखकर भ्रष्टाचार को उजागर करने की एक प्रणाली

जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)



पीआईडीपीआई क्या है?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।



पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?

- ऐसी शिकायत को सचिव, सीवीसी को संबोधित की जानी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा जाना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि बंद लिफाफे में लिखे पते में उल्लिखित होना चाहिए।



शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय बनाएं रखना सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश:

- ऐसी शिकायतें जो शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं उससे पहचान का खुलासा हो सकता है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- पहचान उजागर करने वाले दस्तावेजों को शिकायत में संलग्न या उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज।
- पुष्टिकरण उद्देश्यों के लिए लिफाफे के अंदर पते पर नाम और पते का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- गुमनाम/छद्म नाम वाले पतों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023

अधिक जानकारी के लिए
<https://www.cvc.gov.in>

सतर्कता विभाग, एमएसटीसी लिमिटेड



A Mechanism to Expose Corruption by Keeping Your Identity Confidential

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)



WHAT IS PIDPI?

- PIDPI is a resolution of Government of India
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it



HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

- The Complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be superscribed as "PIDPI"
- Name and Address of the complainant should **NOT** be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover



GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL:

- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint.
Eg: documents received under RTI
- Name and Address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes
- Complaints where confirmation is not received are closed
- Anonymous / pseudonymous letters are not entertained

VIGILANCE AWARENESS WEEK - 2023

For more details visit
<https://www.cvc.gov.in>



নিজের পরিচয় গোপন রেখে দুর্বিতিকে প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি

পাবলিক ইন্টারেন্স ডিসক্লোজার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ
ইনফর্মার রেজোলিউশন, ২০০৪ (পি আই ডি পি আই)



পি আই ডি পি আই কি?

- পি আই ডি পি আই হলো ভারত সরকারের একটি রেজোলিউশন।
- এর অধীনে দায়ের করা সমস্ত অভিযোগের জন্য অভিযোগকারীর
পরিচয় গোপন রাখা হয়।



পি আই ডি পি আই অভিযোগ কিভাবে দায়ের করা যায়?

- অভিযোগটি পাঠাতে হবে সেক্রেটারী,সি ডি সি কে এবং খামের
উপর উল্লেখ করতে হবে "পি আই ডি পি আই"।
- অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা খামের উপর উল্লেখ না করে সেটি
চিঠির ভিতরে বন্ধ খামের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে।



অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা নিশ্চিত করার শর্তাবলী :

- ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগকারীর সাথে সম্পর্কিত বা অন্য কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য
করে করা অভিযোগ অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ করতে পারে।
- অভিযোগটি খোলা অবস্থায় বা পাবলিক পোর্টালে পাঠানো যাবে না।
- যে সমস্ত নথিগুলি অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ করতে পারে সেগুলি
পাঠানো যাবে না বা সেগুলির উল্লেখ করা যাবে না।
উদাহরণস্বরূপ - আর টি আই এ প্রাপ্ত নথি
• অভিযোগটির নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা
ভেতরের খামের চিঠিতে উল্লেখ করতে হবে।
• অভিযোগের স্বপক্ষে অভিযোগকারীর সম্মতি প্রাপ্ত না হলে অভিযোগটি
বন্ধ হিসাবে ধার্য করা হবে।
• বেনামী অথবা ছদ্মনামী কোনোরূপ চিঠিকে বৈধ অভিযোগ হিসাবে
গ্রহণ করা হবে না।

সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ - 2023

আরও তথ্যের জন্য লগইন করুন
<https://www.cvc.gov.in>

সতর্কতা বিভাগ, এমএসটিসি লিমিটেড